प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक - 14.07.2019

थाना कवर्धा **जिला कबीरधाम**

अपराध क्रमांकः- 324/19 धारा 302,201,120बी,34 भादवि

- **सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी**
- **कबीरधाम पुलिस ने किया 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा**
- **अज्ञात महिला के शव की हुई षिनाख्तगी**
- **महिला की शव मिली थी, दिनांक 12.07.2019 की शाम सरोधा बांध (आॅक्सीजन जोन) में क्षत-विक्षत अवस्था में**
- **महिला का पति ही निकला हत्या का मास्टर माइंड**
- **हत्या के लिए 20,000 रूपये में दी सुपाड़ी**
- **05 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में**

---00--

दिनांक 12.07.2019 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, कि ग्राम तारो मोड़ सरोधा बांध के पास स्थित आॅक्सीजन जोन में किसी अज्ञात महिला की शव विक्षप्त अवस्था में पड़ी हुई है। उक्त शव का सिर पत्थर से कुचल दिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कवर्धा पुलिस के द्वारा तत्काल घटनास्थल पहूंचकर आसपास मुआयना किया गया तथा अज्ञात महिला की शव क्षत-विक्षत हालत में थी तथा महिला के सिर को अज्ञात आरोपियों के द्वारा पत्थर से कुचल दिया गया था। जिस कारण से महिला की शिनाख्तगी नहीं हो रही थी। निरीक्षक बृजेश कुशवाहा, थाना प्रभारी कवर्धा के द्वारा उक्त घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी डाॅ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक एवं श्री घनश्याम कामड़े, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को अवगत कराया गया। जिनके द्वारा मौका में पहूंचकर थाना प्रभारी कवर्धा को अज्ञात महिला की शव की शिनाख्तगी हेतु शव की फोटो का ईस्तहार जारी कर पाम्पलेट, पोस्टर तथा सोशल मीडिया व्हाटसएप्प, फेसबुक के माध्यम से शिनाख्तगी का प्रयास किये जाने एवं घटनास्थल में जाने हेतु सभी मार्गो में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने थाना से विशेष टीम गठित कर जिले के तकनीकी टीम से सहयोग प्राप्त करने निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम से प्राप्त मार्गनिर्देशन एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के दिशा-निर्देश में थाना कवर्धा से विशेष टीम गठित कर प्राप्त निर्देशानुसार अज्ञात महिला की शव शिनाख्तगी एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी का प्रयास तथा घटनास्थल में जाने हेतु मार्गो में लगे सीसीटीवी फुटेज का बारिकी से अध्ययन किये जाने लगे। इसी दौरान सोशल मीडिया व्हाटसएप्प में प्रसारित महिला की शव की फोटो को मृतिका की बड़ी बहन के द्वारा देखकर उक्त शव को उसके बहन करूणा यादव निवासी ग्राम नाहंदा पो. डंगनिया तहसील गुंडरदेही जिला बालोद का होने शंका कर अपने परिजनों के माध्यम से थाना कवर्धा पुलिस से संपर्क किया। जिसके आधार पर तत्काल थाना प्रभारी कवर्धा द्वारा मृतिका के परिजन से संपर्क कर उनसे मिलने तथा करूणा यादव के संबंध में अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु उनके बताये गये स्थान पर विशेष टीम के साथ गये। जिनसे मुलाकात कर अज्ञात शव के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। जिसके आधार पर अज्ञात शव करूणा यादव का होना बताये तथा करूणा के द्वारा ग्राम गोछिया थाना कवर्धा निवासी शेखराम कौशिक से करीब 04-05 माह पूर्व घर वालो के ईच्छा के विरूद्ध भाग कर शादी कर लिया गया है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर विशेष टीम के द्वारा करूणा यादव के पति शेखराम कौशिक की पतासाजी कर उससे हिकमातलमी से उसकी पत्नी करूणा यादव के संबंध में पुछताछ किया गया। जिस पर शेखराम कौशिक द्वारा बताया गया कि वह कक्षा 9 वीं तक पढ़ा लिखा है तथा रोजी रोटी कमाने के लिए न्यु चंगोराभाठा रायपुर में राज मिस्त्री का काम करता था, वर्तमान में साड़ी दुकान में कार्य करना बताया तथा करीब 02 वर्ष पूर्व उसकी जान पहचान गुण्डरदेही निवासी करूणा यादव से हुई और दोनो के मध्य प्रेम प्रसंग होने लगा तथा दिनंाक 11.03.2019 को पूर्ण महाराष्ट्र में शिवतेज मंगल कार्यालय से माता-पिता के सहमति के बिना विवाह करना तथा विवाह के पश्चात् अपनी पत्नी करूणा यादव के साथ न्यु चंगोराभाठा रायपुर में किराये के मकान में निवास करना बताया तथा विवाह के कुछ दिन बाद अपनी पत्नी करूणा यादव को लेकर अपने गृह ग्राम गोछिया थाना कवर्धा आया। जिस पर उसकी मां के द्वारा दूसरी समाज की लड़की के साथ विवाह करने पर आपत्ति व्यक्त किया तथा समाज मंे हम लोगो की बदनामी होने की बात कहकर अपनी पत्नी को किसी भी

स्थिति में हटाओ जितना भी पैसा लगेगा मै दुंगी की बात कही। जिसके बाद इसके द्वारा अपनी पत्नी को लेकर वापस किराये के मकान रायपुर में ले गया तथा समाज में बदनामी की बात को सोचकर अपनी पत्नी करूणा यादव की हत्या करने साजिश रचने लगा तथा इसी बीच उसे जानकारी प्राप्त हुआ कि उसके ग्राम गोछिया का लवकुश कौशिक पहले चोरी के मामले में कोर्ट-कचहरी गया था, जो इसकी मदद कर सकता है। इसके आधार पर वह लवकुश कौशिक से संपर्क कर अपनी समस्या को बताया। जिस पर लवकुश कौशिक के द्वारा अपने परिचित के व्यक्ति जो हत्या करने का काम कर सकता है उसकी जानकारी दिया। जिस पर इसके द्वारा ग्राम घोठिया निवासी अशवन सतनामी से संपर्क कर अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कही जिसके द्वारा उक्त काम को करने के लिए 20,000 रूपये लगेगा बताया गया। उसके बाद शेखराम कौशिक के द्वारा अशवन सतनामी से हुये बातचीत की जानकारी दिया। जिस पर उसकी मां के द्वारा पैसा की व्यवस्था करने व काम को कराये जाने के लिए बोला। जिस पर शेखराम कौशिक के द्वारा अशवन सतनामी से अपनी पत्नी की हत्या करने व रकम की व्यवस्था हो जाने की बात कहकर सौदा किया। जिस पर अशवन सतनामी के द्वारा दिन गुरूवार दिनांक 11.07.2019 को अपनी पत्नी को बैगा के पास ले जाने की बात कहकर कवर्धा आने की बात बोला तथा घटना का दिनांक तय किया। अशवन सतनामी के द्वारा तय किये गये दिन के आधार पर शेखराम कौशिक अपनी पत्नी करूणा यादव को अपने मोटरसायकल से लेकर दिनांक 11.07.2019 को रायपुर से कवर्धा आया तथा कवर्धा पहूंचकर अशवन सतनामी से संपर्क किया जिसके द्वारा अपनी पत्नी को सरोधा बांध की ओर लाने वही पर मिलने की बात कही। अशवन सतनामी के द्वारा बताये गये स्थान पर शेखराम कौशिक अपनी पत्नी करूणा यादव को लेकर गया, कि ग्राम खैरबना स्कूल मोड़ के पास शेखराम कौशिक को अशवन सतनामी अपने दो अन्य साथी मिथलेश सतनामी एवं कुश सतनामी के साथ मिला। जिनके द्वारा शेखराम और उसकी पत्नी करूणा यादव को पैदल खेत की ओर ले जाने लगे कि इसी दौरान मिथलेश सतनामी के द्वारा अपने हाथ में रखे गमछे से करूणा यादव के गले को दबा दिया तथा गमछे के एक छोर को मिथलेश एवं दूसरे छोर को कुश के द्वारा पकड़कर खिंचा जिससे करूणा यादव जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी तथा अशवन सतनामी के द्वारा अपने जेब में रखे चाकू से करूणा के गले में जोरदार वार किया। जिससे वह और अधिक छटपटाने लगी। तब शेखराम कौशिक, अशवन सतनामी, मिथलेश सतनामी और कुश सतनामी के द्वारा करूणा यादव को घसीटकर दो झाड़ी के आड़ में ले गये और यशवन सतनामी के द्वारा करूणा यादव के सिर में पास में पड़े वजनदार पत्थर से उसके सिर पर पटक दिया। उसके बाद मिथलेश एवं कुश के द्वारा भी करूणा के सिर में पत्थर पटका तथा शेखराम कौशिक के द्वारा महिला को चेहरा पहचान में ना आये इसलिए उसके चेहरे में दो-तीन बार वजनदार पत्थर से वार कर हत्या किया तथा करूणा यादव के शव को कोई देख ना ले कहकर उसके शव को झाड़ियो के बीच औधे मुंह रखकर वहां से भाग गये। उसके बाद शेखराम कौशिक के द्वारा अशवन सतनामी, मिथलेश सतनामी और कुश सतनामी को तय राशि 16,000 रूपये देकर रायपुर भाग गया।

आरोपी शेखराम कौशिक के द्वारा बताये गये उक्त घटनाक्रम के आधार पर अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके निशानदेही से आरोपी अशवन कुमार पिता सुखचैन दास चंदेल उम्र 22 साल साकिन ग्राम घोठिया, मिथलेश बद्येल पिता राजू बद्येल उम्र 19 साल साकिन ग्राम घोठिया, कुश भटपहरी पिता सिवन उर्फ शिव कुमार भटपहरी उम्र 19 साल साकिन ग्राम घोठिया, लवकुश कौशिक पिता विश्राम कौशिक उम्र 19 साल साकिन गोछिया हाल मुकाम घोठिया रोड कवर्धा को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसायकल, चाकू, गमछा, पत्थर को कब्जा पुलिस लिया गया है।

इस प्रकार संपूर्ण मामले में पुलिस की तत्परता एवं डाॅ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन एवं श्री घनश्याम कामड़े, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के दिशा-निर्देश में निरीक्षक बृजेश कुशवाहा, थाना प्रभारी कवर्धा के नेतृत्व में थाना कवर्धा से गठित विशेष टीम सहायक उप निरीक्षक चंद्रकांत तिवारी, कौशल साहू, द्वारिका घृतलहरे, रधुवंश पाटिल, प्रधान आरक्षक चुम्मन साहू, आरक्षक देवनारायण चंद्रवंशी, आकाश राजपूत, रेखलाल सोनकर, शंकर यादव, सतीष मिश्रा, सैनिक अनिल पाण्डेय के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

आरोपी का नामः-

01. शेखराम कौशिक पिता रामचंद कौशिक उम्र 23 साल साकिन ग्राम गोछिया हाल मुकाम चंगोराभाठा रायपुर कक्षा 9 वीं तक पढ़ा है, राजमिस्त्री का कार्य करता है। वर्तमान में साड़ी दुकान में काम करता है।
02. अशवन कुमार पिता सुखचैन दास चंदेल उम्र 22 साल साकिन ग्राम घोठिया थाना कवर्धा कक्षा 9 वीं तक पढ़ा है, हेमाली का कार्य करता है।
03. मिथलेश बद्येल पिता राजू बद्येल उम्र 19 साल साकिन ग्राम घोठिया थाना कवर्धा कक्षा 6 वीं तक पढ़ा है, हेमाली का कार्य करता है।
04. कुश भटपहरी पिता सिवन उर्फ शिव कुमार भटपहरी उम्र 19 साल साकिन ग्राम घोठिया थाना कवर्धा कक्षा 5 वीं तक पढ़ा है, दुकान में काम करता था वर्तमान में खाली है।
05. लवकुश कौशिक पिता विश्राम कौशिक उम्र 19 साल साकिन गोछिया हाल मुकाम घोठिया रोड कवर्धा कक्षा 9 वीं तक पढ़ा है, पान दुकान चलाता है।